

26/11/19

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित।  
अधिवक्ता वादी द्वारा वादीगण सं 01  
को कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं  
की। अतः पत्रावली कायम मुकाम  
की कार्यवाही नहीं की जाने से खारिज  
की जाती है।  
पत्रावली फेरल शुमार होकर  
नाम्बर से काम की जाकर दाखिल दफ्तर  
है।

वायक कलेक्टर. पोबि

